महाप्रबंधक की अध्यक्षता में संरक्षा बैठक

सेफ्टी, यात्री सुविधाओं और क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष चर्चा

भोपाल, 30 सितम्बर. पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में मंगलवार को संरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित हुई. इसमें सेफ्टी, क्राउड मैनेजमेंट और रेलगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन पर प्रमुखता से चर्चा हुई.

साथ ही त्यौहारों पर स्टेशनों में यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया, प्लेटफार्मों पर भीड़ प्रबंधन और अन्य यात्री सुविधाओं की समीक्षा की गई. संरक्षा और यात्री सुविधा पर जोर

महाप्रबंधक ने कहा कि संरक्षा पश्चिम मध्य रेलवे की प्राथमिकता है. उन्होंने रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और यार्ड ले-आउट सुधार संबंधी कार्यों पर विशेष बल दिया. उन्होंने दशहरा, दीपावली और छठ जैसे आगामी पर्वों के मद्देनज़र यात्रियों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, प्लेटफार्मों व ट्रेनों में क्राउड मैनेजमेंट की निगरानी, लिफ्ट/एस्केलेटर की नियमित मॉनिटरिंग और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरपीएफ और जीआरपीएफ की 24म7 निगरानी, स्टेशन पर प्रवेश/निकासी के बेहतर इंतजाम और यात्रियों के लिए सुरक्षित माहौल पर बल दिया गया.

महाप्रबंधक ने विभागीय प्रमुखों और डीआरएम को निर्देश दिए कि त्यौहारों पर संरक्षा, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देकर समय पर ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित करें. बैठक में अपर महाप्रबंधक प्रमोद कुमार खत्री, प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी प्रवीन खोराना, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक नीरज कुमार, प्रमुख मुख्य इंजीनियर आशुतोष, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक मनीष तिवारी, प्रमुख मुख्य यांत्रिकी इंजीनियर एम. विजय कुमार, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी एस. डी. पाटीदार, प्रमुख मुख्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुकेश, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. श्याम सुन्दर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

आज से आईआरसीटीसी आरक्षण में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

भोपाल. आरक्षण सुविधा का लाभ आम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाने और बेईमान तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए रेलवे ने निर्णय लिया है कि 01 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान, आरक्षित सामान्य टिकट केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक कर सकेंगे. मौजूदा समय में कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों के ज़रिए सामान्य आरक्षित टिकट बुकिंग पर कोई बदलाव नहीं होगा. सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट के प्रतिबंध के समय में भी कोई बदलाव नहीं होगा. इस दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंट पहले दिन आरक्षित टिकट बुक नहीं कर पाएंगे.

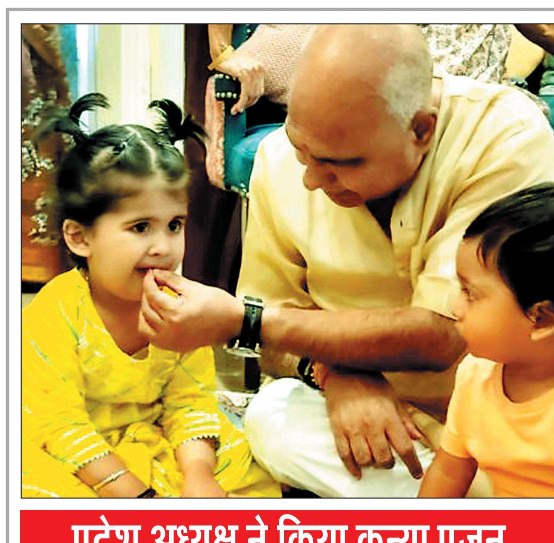

प्रदेश अध्यक्ष ने किया कन्या पूजन

बैतूल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को बैतूल में नवरात्रि में महाअष्टमी के पावन अवसर पर परिवार सहित कुलदेवी का पूजन-अर्चन किया एवं देवी स्वरूपा कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया.

एक नजर में

निर्वाचन लापरवाही पर चार बीएलओ निलंबित

भोपाल. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के अंतिम प्रकाशन के लिए फोटो निर्वाचक नामावली का 2023 की मतदाता सूची से मिलान करने में गंभीर लापरवाही के कारण नरेला विधानसभा क्षेत्र के चार बूथ लेवल ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबित बीएलओ में शेरसिंह शिकवार, विवेकानंद मुखजी, शंभू सिंह रघुवंशी और रोशनी प्रजापति शामिल हैं. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-10 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13क के तहत यह कार्रवाई की.

भीषण सड़क दुर्घटना बस की टक्कर से तीन की मौत

पन्ना. मध्यप्रदेश में पन्ना जिले के पन्ना-अजयगढ़ बायपास मार्ग पर आज मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों में एक युवक और दो युवतियां शामिल हैं. तीनों बड़ी देविन मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. जिला अस्पताल परिसर में मृतकों के परिजन व रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

गोल्ड घोटाले में पूर्व मैनेजर और उनके पिता गिरफ्तार

ग्वालियर. मणिपुरम गोल्ड कंपनी में करोड़ों रुपए के गोल्ड घोटाले का मामला सामने आया है. पुलिस ने डबरा सिटी थाना क्षेत्र में जांच के दौरान कंपनी के पूर्व असिस्टेंट मैनेजर विकास गौर को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि विकास ने कंपनी के करोड़ों रुपए के सोने की जगह नकली गोल्ड रख दिया था. चोरी के बाद उसने इस्तीफा दे दिया था. पुलिस ने उसके पिता महेश चंद गौर को भी भरतपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से सवा चार किलो सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी और बरामदगी से मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी और दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

इंदौर स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक

कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक

इंदौर, 30 सितम्बर. स्मार्ट सिटी और सुविकसित शहर बनाने की दिशा में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई.

स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में शहर के कई बड़े विकास कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई. बैठक में स्मार्ट सिटी के सीईओ अर्थ जैन ने चल रहे प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी दी.

नेहरू पार्क और जिंसी हाट बाजार पर जोर

चर्चा का मुख्य केंद्र नेहरू पार्क व जिंसी हाट बाजार का पुनर्विकास रहा. इसके साथ ही शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण एवं स्मार्ट सिटी की आय बढ़ाने के उपाय भी शामिल थे. बैठक में निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव, इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परिक्षित झाड़े और मेयर प्रतिनिधि महेश चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. कलेक्टर वर्मा ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट उच्च गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं. कलेक्टर ने विशेष रूप से नेहरू पार्क के पुनर्विकास पर जोर देते हुए कहा, नेहरू पार्क को पर्यावरण की दृष्टि से इंदौर का सबसे बेहतर पार्क बनाया जाए.

धर्मांतरण कराने वाले मदरसों पर लगेगा ताला : रामेश्वर शर्मा

भोपाल. मध्यप्रदेश में मदरसों के जरिए धर्मांतरण की शिकायतों को लेकर भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ऐसे किसी भी मदरसे को संचालित नहीं होने दिया जाएगा, जो सनातन, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों का धर्मांतरण कराने की मंशा रखते हैं. ऐसे मदरसों पर सरकार द्वारा ताले लगवा दिए जाएंगे. शर्मा ने बताया कि सरकार ने संबंधित कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची शिकायतों पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे.

वांगचुक की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई

भोपाल, 30 सितम्बर. लद्दाख हिंसा के बाद पर्यावरणविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है.

उन्होंने वांगचुक को गांधीवादी और अद्भुत व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनके साथ किया जा रहा व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं सोनम वांगचुक को लंबे समय से जानता हूं. हाल ही में संसद की स्थायी समिति के दौरे में हमने उनके संस्थानों का निरीक्षण किया. वह एक शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और गांधीवादी हैं. ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह निंदनीय है.

एनएसए के तहत गिरफ्तारी

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. वह इस समय राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं. वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय सुरक्षा की मांग कर रहे थे. दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना घोर आपत्तिजनक है. कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है. गौरतलब है कि 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा में चार लोगों की मौत और 80 से अधिक लोग घायल हुए थे.

तीस हज़ार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

पन्ना. जिला के थाना अमानगंज में बीती रात लगभग 10.40 पर लोकायुक्त टीम सागर ने छापेमार कार्यवाही कर 30000 रुपये की रिश्वत लेते ग्राम रक्षा समिति के सदस्य राममोल नामदेव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फोन रिकार्डिंग के आधार पर मुख्य आरोपी अमानगंज थाना में पदस्थ मुख्य आरोपी प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी व आरक्षक सतीष श्रीवास मौके से फरार। लोकायुक्त डीएसपी सागर संजय जैन से हासिल दिनांक- 27 मई को ग्राम के रहने वाले श्याम सुंदर गौंड का भाई बाल विवाह कर रहा था जिसकी सूचना जिला बाल विवाह नियंत्रण टीम को प्राप्त हुई थी जिन्होंने मौके पर जाकर बाल विवाह रुकवाया था.

डीएवीवी के एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट में बड़े खुलासे

इंदौर, 30 सितम्बर. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हुए रैगिंग मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

एंटी रैगिंग कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर छात्रों पर न सिर्फ फर्जी ईमेल और ट्विटर अकाउंट बनाने का दबाव डाला बल्कि उन्हें नेपाल के जेन-जी प्रोटेस्ट जैसी गतिविधियां करने के लिए भी मजबूर किया. जांच में सामने आया कि सीनियर छात्रों ने जूनियर्स से फर्जी ईमेल व ट्विटर अकाउंट बनवाए और उनसे हैशटैग वायरल करने का दबाव बनाया. विरोध करने पर 'बैच आउट' यानी कॉलेज से निकालने की धमकी दी गई. मुख्य आरोपी अमन पटेल के निर्देश पर जूनियर विवेक शर्मा ने व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कराए ताकि डिजिटल सबूत मिटाए जा सकें.

इन गतिविधियों के लिए सीनियर इंट्रोडक्शन नामक ग्रुप का इस्तेमाल हुआ. शिवसागर रेस्टोरेंट में हुई बैठक में अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, सुनील अहिरवार, नमन पांडे, यशश्वी मिश्रा और धवल चौधरी समेत कई छात्र शामिल थे.

प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर सवाल

शासकीय संस्थानों की अनदेखी, निजी कॉलेजों को खुली छूट

भोपाल, 30 सितम्बर. मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है.

2025-26 सत्र के लिए जारी नई सूची में राज्य के केवल चार शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है, जबकि सैकड़ों निजी नर्सिंग कॉलेजों को बिना किसी बड़ी आपत्ति के मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले पर छात्र संगठन एनएसयूआई ने नर्सिंग काउंसिल की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. इस सत्र में कुल 33 नए और 360 पुराने नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था, जिनमें 21 शासकीय कॉलेज भी शामिल थे. हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ चार को ही स्वीकृति मिल सकी. भोपाल जैसे शहर के प्रतिष्ठित संस्थान बीएमएचआरसी और पंडित खुशीलाल नर्सिंग कॉलेज को भी बाहर कर दिया गया.

निजी कॉलेजों पर खुलकर मेहरबानी

इसके उलट, 231 जीएनएम और 188 बीएससी नर्सिंग निजी कॉलेजों को मान्यता मिल गई. एनएसयूआई का आरोप है कि इनमें से कई कॉलेज न फैकल्टी के मानकों पर खरे उतरते हैं, न ही बुनियादी संसाधनों से लैस हैं, फिर भी इन्हें क्लीन चिट दे दी गई. संगठन का कहना है कि यह निर्णय न सिर्फ पक्षपातपूर्ण है बल्कि नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. एनएसयूआई नेताओं ने बताया कि कई निजी संस्थानों पर पहले से गंभीर शिकायतें लंबित थीं, फिर भी उन्हें मान्यता दी गई.

पिता-दादी समेत परिवार के 6 लोगो को उम्रकैद

ऑनर किलिंग केस में 11 साल बाद आया फैसला

बैतूल, 30 सितम्बर. पाथाखेडा में 1 जनवरी 2014 के ऑनर किलिंग केस में सोमवार को कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. 14 वर्षीय कंचन कुशवाह का शव उसके फूफा के घर के बाथरूम में जली हुई हालत में मिला था.

दरवाजा अंदर से बंद नहीं था. परिजन ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी. लोक अभियोजक गोवर्धन सूर्यवंशी ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कंचन के पिता सुरेंद्र प्रसाद कुशवाह, दादी गीता कुशवाह, दीपक सिंह और उनकी पत्नी राधिका, ओमप्रकाश और लक्ष्मण को दोषी ठहराया. इन पर हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप थे. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 201 के तहत सात साल कैद और जुर्माना की सजा सुनाई. इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं था. पुलिस ने पड़ोस के 70 लोगों के बयान दर्ज किए, जिनसे साबित हुआ कि घटना के दिन घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था.

संविधान को खतरा : कांग्रेस

मानवाधिकार की नियुक्तियों को लेकर लगाए आरोप

भोपाल, 30 सितंबर. मध्यप्रदेश में मानवाधिकार आयोग की नियुक्तियों के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए संविधान के खतरे में होने का आरोप लगाया है.

दरअसल कल इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में एक बैठक हुई. इस बैठक के पहले और इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का दावा किया. सिंघार ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हुई बैठक में उन्होंने नियुक्तियों को लेकर असहमति जताई है. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे. उन्होंने दावा किया कि नियुक्ति को लेकर कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन नहीं दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन बुलाए गए. यह समान अवसर और पारदर्शिता के मानकों के विपरीत है.

बच्चों को बाहर भेजकर महिला ने लगाई फांसी

भोपाल, 30 सितंबर. शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका के पास से सुसाइड नोट भी बरामद नहीं किया जा सका है.

महिला ने यह कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी अबतक सामने नहीं आ सकी है. पुलिस जानकारी के अनुसार मृतका मनोरमा मिश्रा उम्र 31 साल अपने पति आशीष मिश्रा और 2 बच्चों के साथ इंद्रा नगर मल्टी में रहती थी. मनोरमा के पति प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते है. सोमवार को मनोरमा ने अचानक से अपने बच्चों को किसी बहाने से घर के बाहर भेजा और घर के एक कमरे में फांसी लगा ली. मृतका के पति ने भी किसी तरह के आपसी लड़ाई-झगड़े की बात से इंकार किया है.

पेज एक का शेष

12 जिलों के कलेक्टर बदले

अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	नई पदस्थापना
सुरेश कुमार :	कलेक्टर पन्ना	ओएसडी सह आयुक्त चंबल संभाग मुरैना
शीलेन्द्र सिंह :	कलेक्टर छिंदवाड़ा	अपर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास
नेहा मारव्या :	कलेक्टर डिंडोरी	संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति भोपाल
संजीव श्रीवास्तव :	कलेक्टर भिंड	अपर सचिव लोक निर्माण विभाग
उषा परमार :	अपर आयुक्त राजस्व भोपाल	कलेक्टर पन्ना
शिवराजसिंह वर्मा :	अपर सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग	अपर आयुक्त राजस्व भोपाल संभाग
राजेश बाथम :	कलेक्टर रतलाम	अपर सचिव वन विभाग
रजनी सिंह :	ओएसडी सह श्रम आयुक्त मप्र इंदौर	कलेक्टर नरसिंहपुर
नीरज कुमार वशिष्ठ :	संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति भोपाल	कलेक्टर पांढुर्णा
शीतला पटले :	कलेक्टर नरसिंहपुर	कलेक्टर सिवनी
अंकित अस्थाना :	कलेक्टर मुरैना	उप सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
लोकेश कुमार जांगिड़ :	कलेक्टर निवाड़ी	कलेक्टर मुरैना
चन्द्रशेखर शुक्ला :	कलेक्टर सिंगरौली	उप सचिव राजस्व विभाग
डॉ. अभय अरविंद बेडेकर :	कलेक्टर अलीराजपुर	अपर प्रबंध संचालक मप्र पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल
अजय देव शर्मा :	कलेक्टर पांढुर्णा	उप सचिव राजस्व विभाग
नीतू माथुर :	अपर आयुक्त राजस्व रीवा	कलेक्टर अलीराजपुर
अंजू पवन भदौरिया :	सीईओ जिला रायसेन	कलेक्टर डिंडोरी
जमुना भिडे :	सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन भोपाल	कलेक्टर निवाड़ी
संस्कृति जैन :	कलेक्टर सिवनी	आयुक्त नपानि भोपाल
बिदिशा मुखर्जी :	अपर प्रबंध संचालक मप्र पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल	उप सचिव पीएचई विभाग
किरोड़ी लाल मीना :	अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल	कलेक्टर भिंड
गौरव बैनल :	अपर कलेक्टर इंदौर	कलेक्टर सिंगरौली
हरेन्द्र नारायण :	आयुक्त नपानि भोपाल	कलेक्टर छिंदवाड़ा
सुश्री मिशा सिंह :	अपर कलेक्टर जबलपुर	कलेक्टर रतलाम

समस्या | आगर मालवा जिले में हिरणों, तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों का उजड़ रहा प्राकृतिक आवास

सोलर प्रोजेक्ट के लिए जंगलों की कटाई, वन्य जीवों का विस्थापन

आशीष कुर्ले

भोपाल, 30 सितम्बर. मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई किए जाने से हिरणों, तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास उजड़ने की खबर सामने आई है.

इससे न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी पर गहरा असर पड़ा है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन पर भी सवाल उठने लगे हैं. एमओईपीएफसीसी प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजेश आर्य जायसवाल ने आरोप लगाया है कि एबी एनर्जाइजिंग सॉल्यूशंस प्रा. लि. ने वन विभाग से आवश्यक अनुमति लिए बिना बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की है. उनका कहना है कि हाल के महीनों में हजारों पेड़ों, जिनमें दुर्लभ चंदन के पेड़ भी शामिल हैं, को अवैध रूप से काटा गया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा है.

जैनवाल ने यह भी दावा किया कि खसरा नंबर 754 की दर्ज वन भूमि पर परियोजना के लिए अतिक्रमण किया गया. इसके अलावा, लगभग 400 बीघा हरित वनों की भूमि, जो जैव विविधता से समृद्ध थी, को कंपनी की सहयोगी इकाई ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड वन प्रा. लि. ने करीब 20 किसानों से खरीदा.

उन्होंने कहा, पिछले एक वर्ष से अधिक समय से इस परियोजना पर काम चल रहा है, लेकिन कई महत्वपूर्ण अनुमतियां — जैसे कि वन क्षेत्र से होकर जाने वाली एप्रोच रोड के लिए अनुमति — समय पर प्राप्त नहीं की गईं. कंपनी ने साफ तौर पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया है.

यह विवाद नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए अहम है, लेकिन यदि परियोजनाएं बिना उचित निगरानी और नियमों के चलाई जाएं तो यह जैव विविधता और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं. स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों ने परियोजना की मंजूरी की तत्काल समीक्षा और उल्लंघनों पर सख्त जवाबदेही तय करने की मांग की.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14